

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी

भवशीलाई

विपक्षी

राजेश

किस्म मुकदमा

88 P-100

पत्रावली संख्या

72/24

सन

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>16/09/25</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीया मध्य स्वयं वादीया अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीया मध्य स्वयं वादीया को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादीया एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य वादी जिरह में सम्बन्धित हैं। वादीयाँ को साक्ष्य वादी जिरह हेतु पत्रावलि अवसर दिया गया था परन्तु वादीया द्वारा गवाह को उपस्थित नहीं रखा। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीया अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी अधिवक्ता वादीया एवं गवाह अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीयाँ मध्य स्वयं वादीया अनुपस्थित रहने पर वादीया का वाद अहम हाजरी अहम फ़ैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

